IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

P.S-05/2016

SUMITRA DEVI.......................................PLAINTIFF

Vs.

RAJ KUMAR RAI & OTHERS....................................DEFENDANTS

ORDER

06.10.21 वाद पुकारा गया। पुकार पर उभय पक्षों के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं0– 4, 5, 7 एवं 8 के साक्ष्य रिकॉल हेतु आवेदन दिनांक– 15.02.21 पर उभय पक्षों को सुना गया।

प्रार्थी प्रतिवादीगण का कथन है कि जानकारी के अभाव में वादी साक्षी सं0–1 सुमित्रा देवी का प्रतिपरीक्षण करने हेतु प्रतिवादी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सके। फलस्वरुप साक्षी को उन्मुक्त कर दिया गया। वादी की ओर से अपने प्रत्युत्तर दिनांक– 15.03.21 के द्वारा उक्त आवेदन का विरोध किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। दिनांक– 26.02.2020 को वादी साक्षी सुमित्रा देवी का प्रतिपरीक्षण करने हेतु प्रतिवादी की ओर से कोई न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। फलस्वरुप वादी साक्षी सं0–1 सुमित्रा देवी को उन्मुक्त किया गया है एवं वर्तमान में वादी साक्षी सं0–2 अनिता देवी का साक्ष्य चल रहा है, परन्तु वाद की सत्यता तक पहुँचने के लिए प्रार्थी प्रतिवादीगण को वादी साक्षी सं0–1 का प्रतिपरीक्षण करने हेतु एक और मौका दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः आदेश दिनांक– 26.02.2020 न्यायहित में 500/– रु0 कॉस्ट पर स्वीकृत किया जाता है। वादी साक्षी सं0–2 अनिता देवी का साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात् वादी साक्षी सं0–1 सुमित्रा देवी का शेष प्रतिपरीक्षण किया जाएगा।

दिनांक– 06.12.2021 वास्ते शेष प्रतिपरीक्षण वादी साक्षी सं0–2 का।

अवर न्यायाधीश